प्रेस नोट दिनांक 08.01.2025 जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना पट्टी-

- -अपराध का अंजाम हमेशा बुरा होता है ।
- -गैरकानूनी कार्य करोगे तो कड़ी कार्यवाही होगी जरूर ।
- -दिनांक 07.01.2025 को पट्टी कस्बा में मैजिक डाला व चार पहिया वाहन सवारों द्वारा झगड़े में पर पहुँची पुलस टीम के साथ अभद्रता, गाली गलौच कर हमलावर होने के प्रकरण में 02 अभयुक्तों को पुलस ने दबोचा
- -एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत थाना पट्टी पुलस की सख्त कार्यवाही -राम इंटर कालेज पट्टी के पास से 02 अभयुक्त गरफ्तार

प्रतापगढ़ ।

दिनांक 07.01.2025 की शाम में पट्टी कस्बा में मैजिक डाला व चार पिहया वाहन में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा झगड़ा कया गया । जिसमें मौके पर पहुँची थाना पट्टी पुलस टीम के साथ चार पिहया सवारों द्वारा अभद्रता एवं गाली गलोच कर सरकारी कार्य में व्यवधान डालते हुए हमलावर के प्रकरण में पट्टी पुलस द्वारा जीरो टॉलरेन्स नीति के तहत सख्त कार्यवाही करते हुए 02 गरफ्तार कये गये ।

घटना का संक्षप्त ववरण-

दिनांक 07.01.2025 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत कस्बा पट्टी में दो चार पिहया सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा आपस में झगड़ा कर रहे थे। मौके पर पहुँची पुलस टीम के साथ वाहनों में सवार कुछ व्यक्ति अभद्रता व गाली गलोच कर कार्य सरकार में व्यवधान डालते हुए हमलावर हो गये। इस संबंध में थाना पट्टी पर मु030सं0-06/25 धारा 191(2), 190, 221, 132, 121(1), 352, 351(2) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट बनाम 05 नामजद व कुछ अज्ञात के वरुद्ध पंजीकृत कया गया।

पुलस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाँ० अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार संह व क्षेत्राधकारी पट्टी मनोज कुमार संह रघुवंशी के मार्गदर्शन /पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पट्टी पट्टी आलोक कुमार के नेतृत्व में 30नि0 इन्द्रेश कुमार मय हमराह का0 नितिन कुमार द्वारा मु030सं0-06/25 उपरोक्त में ववेचनात्मक कार्यवाही के दौरान वांछित 02 अभयुक्तों 1-प्रतिरोध संह उर्फ बन्टी संह पुत्र अनिल संह निवासी ग्राम बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़, 2- अश्वनी संह उर्फ उर्फ महाकाल पुत्र अजय संह निवासी ग्राम बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत राम इंटर कालेज पट्टी के पास से गरफ्तार कया गया ।

गरफ्तार अभयुक्तों का नाम-

- 1- अश्वनी संह उर्फ महाकाल पुत्र अजय संह निवासी ग्राम बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़
- 2- प्रतिरोध संह उर्फ बन्टी संह पुत्र अनिल संह निवासी ग्राम बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़,

पुलस टीम-

1- 30नि0 इन्द्रेश कुमार मय हमराह का0 नितिन कुमार थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

आपराधक इतिहास-

श्रेयांश संह उर्फ अश्वनी संह उर्फ महाकाल पुत्र अजय संह निवासी ग्राम बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

- 1-मु0310सं0- 194/24 धारा 147, 149, 336, 337, 504, 506 भादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
- २-म्०अ०सं०-२७५/२२ धारा ३९४, ४२७, ५०४, ५०६ भादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
- 3-मु0अ0सं0-347/23 धारा 147, 149, 323, 352, 504, 506 भादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

बयान- अपराध एवं अपराधयों को वरुद्ध जीरो टॉयलेंस नीति के तहत प्रतापगढ़ पुलस की प्रभावी कार्यवाही जारी है। लोकसेवक के साथ अभद्रता दुर्व्यवहार करने एवं सरकारी कार्य में बाँधा डालने वाले व्यक्तियों के वरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लए प्रतापगढ़ पुलस कटिबद्ध है। बड़े बुजुर्गों को चाहिए क वह अपने बच्चों को गलत रास्ते पर चलने से रोकें एवं नागरिक नियमों का पालन करें। अपराध का अंजाम हमेशा ब्रा होता है और ऐसे अपराधयों के वरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रेस नोट दिनांक 08.01.2025

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलस द्वारा अपराध व अपराधयों के वरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना सांगीपुर पुलस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभयोग से संबंधत 01 वांछित अभयुक्त गरफ्तार

थाना सांगीपुर पुलस टीम द्वारा अभयुक्त को थानाक्षेत्र के देउम चौराहे के पास से गरफ्तार कया गया।

पुलस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाँ० अनिल कुमार द्वारा अपराधक क्रया कलाप में संलप्त अपराधयों के वरूद्ध चलाए जा रहे अभयान के क्रम में अपर पुलस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी सांगीपुर श्री मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में उ०िन० इन्द्रेश कुमार मय हमराह का॰ सोनू कुमार व का० वश्वेन्द्र प्रताप संह द्वारा दिनांक 08.01.2025 को देखभाल क्षेत्र / संदिग्ध व्यक्तियों /वाहनों की चेकंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर पर पंजीकृत अभयोग अन्तर्गत धारा 64(2)M/ 69 बीएनएस व 4/8/12 पाक्सो एक्ट से संबंधत अभयुक्त दीपक वर्मा पुत्र भाईलाल वर्मा निवासी ग्राम महिमापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र सांगीपुर के देउम चौराहे के पास से गरफ्तार कया गया।

गरफ्तार अभयुक्त का ववरण-

दीपक वर्मा पुत्र भाईलाल वर्मा निवासी ग्राम महिमापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलस टीम का ववरण-

30नि0 हरिन्द्र कुमार यादव मय हमराह का॰ अमत कुमार यादव व का० रजनेश कुमार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 08.01.2025

थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षी के सतर्कता से 01 गैंगस्टर गरफ्तार

थाना संग्रामगढ़ के आरक्षी मंदीप संह ने गैंगस्टर अभयुक्त पर कसा शकंजा

आरक्षी मंदीप संह ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लये आरक्षी मंदीप संह को दिया जाएगा प्रशस्ति- पत्र, नगद प्रस्कार तथा चरित्र पंजीका में उत्तम प्रवष्टि हेत् संबंधत को दिये गये निर्देश

असोगी नहर के पास से गैंगस्टर एक्ट के 01 अभय्क्त गरफ्तार

गैंगेस्टर चंद्रशेखर संह पर गोवध, पशु क्रुरता अध0 व मारपीट के अभयोग थाना संग्रामगढ़ में अभयोग अभयोग दर्ज हैं।

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संतप्त अपराधयों की गरफ्तारी हेतु बीट पुलसंग प्रणाली को मजबूत कया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना संग्रामगढ़ के बहादुर आरक्षी मंदीप संह के सहयोग से दिनांक 07.01.2024 को थाना संग्रामगढ पुलस द्वारा मु030सं0 03/25 धारा 2/3 50प्र0 गरोहबन्द समाज वरोधी क्रयाकलाप (निवारण) अधनियम, 1986 में 01 वांछित अभयुक्त 1- चंद्रशेखर संह पुत्र हरिकेश बहादुर संह निवासी निवासी ग्राम मोहम्मदपुर का खास थाना संग्रांमगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत असोगी नहर के पास से गरफ्तार कया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गरफ्तार अभयुक्त का ववरण-

1-चंद्रशेखर संह पुत्र हरिकेश बहादुर संह निवासी ग्राम मोहम्मदपुर का खास थाना संग्रांमगढ़ जनपद प्रतापगढ़

आपराधक इतिहास-

-चंद्रशेखर संह पुत्र हरिकेश बहादुर संह निवासी ग्राम मोहम्मदपुर का खास थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ का आपराधक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-15/22 धारा 3/5ए /8 गोवध अध0 व 11 पशू क्रुरता अध0 थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

2- मु0अ०सं0-139/21 धारा 147,323,504,506,427 भादव व 3(1)द,ध व 3(2)va sc/st act थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 08.01.2025

थाना उदयप्र, जनपद प्रतापगढ़

पुलस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधयों के खलाफ कड़ा एक्शन, अभयुक्त द्वारा हत्या का प्रयास करने से संबंधत 01 वांछित अभयुक्त गरफ्तार थाना उदयपुर पुलस टीम द्वारा अभयुक्त को शबाना बाबा नहर पुलया के पास से गरफ्तार कया गया।

घटना का संक्षप्त का ववरण-

दिनांक 06.01.2025 को थाना उदयपुर के ग्राम पूरे वंशा कुम्भीआइमा में आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर मारपीट करने के संबंध में प्रार्थी की तहरीर के आधार पर थाना उदयपुर में मु030सं0 04/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 333, 324(4), 109(1), 110, 117(2) बीएनएस बनाम 12 नामजद व 08 व्यक्ति नाम पता अज्ञात अभयुक्त पंजीकृत कया गया था ।

पुलस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाँ० अनिल कुमार द्वारा अभयुक्त वांछित अपराधी की गरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभयान के अंतर्गत व अपर पुलस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी उदयपुर श्री राधे बाबू के नेतृत्व में उ०नि० सचन कुमार मय हमराह, हे०कां० बहाबुद्दीन, का० राहुल प्रताप द्वारा 01 अभयुक्त शयाराम पुत्र पच्चुलाल निवासी ग्राम पूरे वंशा मजरे कुम्भीआइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र उदयपुर के शबानाबाबा नहर पुलया के पास से गरफ्तार कया गया।

गरफ्तार अभयुक्त का ववरण-

01- शयाराम पुत्र पच्चुलाल निवासी ग्राम पूरे वंशा मजरे कुम्भीआइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

गरफ्तार करने वाली टीमः-

50नि० सचन कुमार मय हमराह, हे०कां० बहाबुद्दीन, का० राहुल प्रताप थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।